भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1104**

दिनांक 09 मार्च, 2017 को उत्‍तर के लिए

**महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजनाओं की धीमी गति**

**1104. श्री डी. कुपेन्‍द्र रेड्डी :**

क्‍या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्‍या यह सच है कि देश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्‍चित करने संबंधी बहुत सी योजनाओं/उपायों का कार्यान्‍वयन धीमी गति से हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और इसके कारणों के साथ-साथ ऐसी योजनाओं/किए गए उपायों की वर्तमान स्‍थिति क्‍या है; और

(ग) सरकार द्वारा इनके त्‍वरित गति से कार्यान्‍वयन के लिए क्‍या-क्‍या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

**उत्‍तर**

श्रीमती कृष्‍णा राज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍यमंत्री

(क) से (ग) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का यह मानना है कि महिलाओं के विरूद्ध अपराध की घटनाओं को तब तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता जब तक कि सामान्‍यतया लोगों की सोच में परिवर्तन नहीं होगा । महिलाओं के विरूद्ध अपराध बढ़ने के पीछे अनेक कारण हैं जैसे कि महिलाओं की असमान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्‍थिति तथा सामाजिक-सांस्‍कृतिक रूढ़ियां, आदि जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं ।

देश में महिलाओं एवं बच्‍चों की सुरक्षा एवं संरक्षा सरकार के लिए सर्वोच्‍च प्राथमिकता है । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं से संबंधित विभिन्‍न विशेष कानून अधिनियमित किए हैं जैसे कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961; स्‍त्री अशिष्‍ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986; और कार्यस्‍थल पर महिलाओं का यौन उत्‍पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए) । बलात्‍कार जैसे अपराधों के लिए दंड को अधिक कठोर बनाते हुए आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया है ।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता एवं मदद प्रदान करने के लिए वन स्‍टॉप सेंटर की स्‍कीम तथा हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे तत्‍काल एवं आपातकालीन प्रत्‍युत्‍तर प्रदान करने के लिए महिला हैल्‍पलाइन के सर्वसुलभीकरण की स्‍कीम चला रहा है । इसके अलावा, वित्‍त मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा बढ़ाने से जुड़ी पहलों के कार्यान्‍वयन के लिए 2013 में निर्भया निधि नामक एक समर्पित निधि का गठन किया है । वित्‍त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनके माध्‍यम से निर्भया निधि से वित्‍त पोषण के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्‍तावित विभिन्‍न स्‍कीमों/परियोजनाओं के मूल्‍यांकन एवं सिफारिश के लिए सचिव (डब्‍ल्‍यूसीडी) की अध्‍यक्षता में अधिकारियों की एक अधिकार प्राप्‍त समिति गठित की गई । अधिकारियों की अधिकार प्राप्‍त समिति, जो एक अंतरमंत्रालयी समिति है, विभिन्‍न मंत्रालयों/विभागों/राज्‍यों द्वारा प्रस्‍तावित विभिन्‍न प्रस्‍तावों/परियोजनाओं का मूल्‍यांकन करती है और सिफारिश करती है । इसके बाद संबंधित मंत्रालय अपनी अन्‍य स्‍कीमों/परियोजनाओं की तरह इस प्रकार मूल्‍यांकित स्‍कीमों/प्रस्‍तावों को कार्यान्‍वित करते हैं । यह समिति संबंधित मंत्रालयों के साथ समय-समय पर परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन की नियमित रूप से समीक्षा करती है । निर्भया निधि के तहत अब तक 2348.85 करोड़ रुपये के 16 प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए हैं जिसमें से 2047.85 करोड़ रुपये के प्रस्‍तावों का अधिकार प्राप्‍त समिति द्वारा मूल्‍यांकन किया गया है और सिफारिश की गई है । इस प्रकार मूल्‍यांकित प्रस्‍ताव कार्यान्‍वयन के विभिन्‍न चरणों पर हैं तथा परियोजना की आवश्‍यकतानुसार धन का उपयोग होता है । निर्भया निधि के तहत अधिकारियों की अधिकार प्राप्‍त समिति द्वारा मूल्‍यांकित एवं संस्‍तुत परियोजनाओं की सूची **अनुलग्‍नक** के रूप में संलग्‍न है ।

उज्‍ज्‍वला स्‍कीम, जो दुर्व्‍यापार से लड़ने के लिए एक व्‍यापक स्‍कीम है, पूरे देश में कार्यान्‍वित की जा रही है । स्‍कीम के मानदंडों को संशोधित किया गया है जो 01.04.2016 से प्रभावी हैं । इस समय राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के माध्‍यम से स्‍कीम कार्यान्‍वित की जा रही है । वर्तमान वित्‍त वर्ष अर्थात 2016-17 के दौरान स्‍कीम के कार्यान्‍वयन के लिए अंतिम लाभार्थी/कार्यान्‍वयन एजेंसियों के अग्रेतर संवितरण के लिए राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को 14.19 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है ।

स्‍वाधार एवं अल्‍पावास गृह की स्‍कीमों का संशोधन करते हुए 01.01.2016 से इनको ''स्‍वाधार गृह'' के रूप में मिला लिया गया है । स्‍वाधार गृह स्‍कीम दुर्भाग्‍यपूर्ण परिस्‍थितियों की शिकार महिलाओं पर ध्‍यान देती है जिनको पुनर्वास के लिए संस्‍थानिक सहायता की जरूरत होती है ताकि वे यथेष्‍ठ गरिमा के साथ अपना जीवन जी सकें । स्‍कीम के तहत कठिन परिस्‍थितियों की पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, वस्‍त्र तथा स्‍वास्‍थ्‍य एवं आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है । स्‍वाधार गृह स्‍कीम केंद्र प्रायोजित छत्रछाया स्‍कीम ''संरक्षण एवं सशक्‍तीकरण'' की एक उप स्‍कीम है तथा राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के माध्‍यम से कार्यान्‍वित की जा रही है । स्‍कीम के कार्यान्‍वयन के लिए वित्‍त वर्ष 2016-17 में राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्रों को अब तक 22.15 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है ।

\*\*\*\*\*

अनुलग्‍नक

'महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजनाओं की धीमी गति' विषय में श्री डी. कुपेन्‍द्र रेड्डी द्वारा दिनांक 09 मार्च, 2017 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1104 के उत्‍तर में संदर्भित अनुलग्‍नक

**निर्भया निधि के तहत मूल्‍यांकित एवं संस्‍तुत प्रस्‍तावों की सूची**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र.सं. | प्रस्‍ताव एवं मंत्रालय का नाम | मूल्‍यांकन की लागत |
|  | **आपातकालीन प्रत्‍युत्‍तर सहायता प्रणाली, गृह मंत्रालय** | 321.69 **करोड़ रुपये** |
|  | केंद्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि (सीवीसीएफ) का गठन, गृह मंत्रालय | 200.00 **करोड़ रुपये**. |
|  | महिलाओं के विरूद्ध अपराध के लिए जांच यूनिटों (आईयूसीएडब्‍ल्‍यू) का गठन, गृह मंत्रालय | 324.00 **करोड़ रुपये** |
|  | संगठित अपराध जांच एजेंसी (ओसीआईए), गृह मंत्रालय | 83.20 **करोड़ रुपये** |
|  | महिलाओं एवं बच्‍चों के विरूद्ध साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्‍ल्‍यूसी), गृह मंत्रालय | 244.32 **करोड़ रुपये** |
|  | दिल्‍ली में जिला और उपमंडल पुलिस स्‍टेशन में सामाजिक कार्यकर्ताओं/परामर्शदाताओं को सुविधा प्रदान करने का प्रस्‍ताव, दिल्‍ली पुलिस/गृह मंत्रालय | 6.20 **करोड़ रुपये** |
|  | महिलाओं एवं बच्‍चों के लिए विशेष यूनिट (एसपीयूडब्‍ल्‍यूएसी) के लिए महिला केंद्रित सुविधाओं के साथ नया भवन तथा नानकपुरा में उत्‍तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष यूनिट (एसपीयूएनईआर), दिल्‍ली पुलिस/गृह मंत्रालय | Rs.23.53 Cr. |
|  | एकीकृत आपातकालीन प्रत्‍युत्‍तर प्रबंधन प्रणाली (आईईएमआरएस), रेल मंत्रालय | 500.00 **करोड़ रुपये** |
|  | महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कारों और बसों में पैनिक स्‍विच आधारित सुरक्षा डिवाइस का विकास एवं फिल्‍ड परीक्षण, इलैक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | 3.50 **करोड़ रुपये** |
|  | महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा के लिए अभय परियोजना प्रस्‍ताव, आंध्र प्रदेश सरकार | 138.49 **करोड़ रुपये** |
|  | चिराली प्रस्‍ताव, महिला सशक्‍तीकरण निदेशालय, राजस्‍थान सरकार | 10.20 **करोड़ रुपये** |
|  | वन स्‍टॉप सेंटर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | 119.69 **करोड़ रुपये** |
|  | महिला हैल्‍पलाइन का सर्वसुलभीकरण, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | 69.49 **करोड़ रुपये** |
| 1. (क) | करनाल और महेंद्रगढ़ जिलों के लिए महिला पुलिस वालेंटियर, हरियाणा | 1.29 **करोड़ रुपये** |
| 14.(ख) | प्रायोगिक आधार पर अनंतपुर और कडप्‍पा जिलों में ग्राम स्‍तर पर महिला पुलिस वालेंटियर (एमपीवी) के कार्यान्‍वयन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का प्रस्‍ताव | 2.25 **करोड़ रुपये** |